

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 862] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940 No. 862] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली 5 दिसम्बर, 2018

सा.का.िन. 1169(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1963 को जहां तक उनका संबंध उप निदेशक प्रशासन पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में उप निदेशक प्रशासन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-

- 1.संक्षिप्त नाम और प्रांरभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन भर्ती नियम 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर –उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति,-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

7119 GI/2018 (1)

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन	सीधी	सीधी भर्ती	क्या	परिवीक्षा
नाम			मेट्रिक्स में	पद	भर्ती	किए जाने	सीधी	की
			स्तर	अथवा	किए	वाले व्यक्तियों	भर्ती किए	अवधि,
				अचयन	जाने	के लिए	जाने वाले	यदि कोई
				पद	वाले	अपेक्षित	व्यक्तियों	है
					व्यक्तियों	शैक्षिक और	के लिए	•
					के लिए	अन्य अर्हताएं	विहित	
					आयु		आयु और	
					सीमा		शैक्षिक	
							अर्हताएं	
							पदोन्नति की दशा	
							का दशा में लागू	
							होंगी होंगी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
उप	*14(2018)	साधारण	स्तर 11	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष
निदेशक	*कार्यभार के आधार	केंद्रीय सेवा,	(67700-	पद	होता	होता	होता	
प्रशासन	पर परिवर्तन किया	समूह 'क'	208700					
	जा सकता है।	674	<u>रू</u>)					
	टिप्पण 1. : पदों की	राजपत्रित,						
	संख्या उस श्रेणी में	अननुसचिवीय						
	स्वीकृत पदों की कुल							
	संख्या है और किसी भी समय निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत							
	सरकारी सेवकों द्वारा							
	निगम के अधिकारियों							
	और कर्मचारियों की							
	कुल संख्या से अधिक							
	नहीं होनी चाहिए।							
	टिप्पण 2. ये नियम							
	सभी उप निदेशक							
	प्रशासन के केंद्रीय							
	सरकार से							
	अधिवर्षिता हो जाने							
	पर लागू नहीं रहेंगे,							
	जो निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत हैं।							

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती की जाएगी या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन से भर्ती की जानी है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10. प्रोन्नति द्वारा	11. प्रोन्नति:	12. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर	13. लागू नहीं होता
टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां कर्मचारियों के दो प्रवर्गों अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी, जैसा निगम विनिश्चय करे।	आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रू) लेखा निरीक्षक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों की अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा	विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम - अध्यक्ष; 2.संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय-सदस्य; 3. महानिदेशक, आकाशवाणी-सदस्य; 4. महानिदेशक, दूरदर्शन-सदस्य विभागीय पृष्टिकरण समिति:	
टिप्पण-2: किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां, जो कि इन नियमों के अंतर्गत प्रोन्नति की पद्धति के जरिए भरने से रह जायेंगी, उन्हें निगम द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (अनुबंध अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा भरा जायेगा।	रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष की सेवा, जो भी कम है, रखते हैं, और अगले उच्च श्रेणी की प्रोन्नति के लिये परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही अर्हता या पात्रता सेवा प्राप्त कर ली है।	 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम - अध्यक्ष; 2.संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय-सदस्य; 3. महानिदेशक, आकाशवाणी-सदस्य; 4. महानिदेशक, दूरदर्शन-सदस्य 	

[फा. सं.-ए-48011/1/2014-बीए(पी)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the, 5th December, 2018

G.S.R. 1169(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Deputy Director of Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Administration in Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

		~	CHEDULI				
Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in	Whether	Age limit	Educational	Whether age
			pay	selection	for direct		and
			matrix.	post or	recruits.	qualifications	
				non-		required for	qualifications
				selection		direct	prescribed
				post.		recruits.	for direct
							recruits will
							apply in the
							case of
							promotees
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Deputy	14* (2018)	General	Level 11	Selection	Not	Not	Not
Director of	J		(Rs.67700-	Post.	applicable.	applicable.	applicable.
Administration.	variation	Service,	208700)				
	-	Group 'A',					
	workload.	Gazetted,					
		Non-					
	number of posts in	Ministerial.					
	each grade is the						
	total number of the						
	posts sanctioned						
	for that grade and						
	at any time, it shall						
	not exceed the						
	aggregate number						
	of posts occupied						
	by the Government						
	servants on						
	deemed deputation						
	to the Corporation						
	and the officers						
	and employees of						
	the Corporation.						
	Note 2 These						
	rules shall cease to						

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

exist on the superannuation of all Deputy Directors of Administration from the Central Government who are on deemed deputation to Corporation.			
Method of recruitment,	Grade from which	If a Departmental Promotion	Circumstances
		1	in which
_			Union Public
		composition.	Service
			Commission
1 -			to be
1 -			consulted in
various methods.			making
			recruitment.
10.	11.	12.	13.
By Promotion.	Promotion:	Departmental Promotion	Not
Note-1: The vacancies	Inspector of Accounts/	Committee (for considering	applicable.
1	Senior Administrative		
arising in a particular		promotion) consisting of:-	
year shall be filled up	Officer in Level 8 (Rs.	1.Chief Executive Officer,	
	superannuation of all Deputy Directors of Administration from the Central Government who are on deemed deputation to Corporation. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. 10. By Promotion. Note-1: The vacancies	superannuation of all Deputy Directors of Administration from the Central Government who are on deemed deputation to Corporation. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. 10. 11. By Promotion. Note-1: The vacancies Inspector of Accounts/	superannuation of all Deputy Directors of Administration from the Central Government who are on deemed deputation to Corporation. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. Grade from which recruitment by promotion or deputation/absorption is to be made. Grade from which recruitment by promotion or deputation/absorption is to be made. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. To be made. 10. 11. 12. By Promotion. Note-1: The vacancies of Accounts/ Departmental Promotion Committee (for considering)

or Doordarshan with six

years regular service in

Note:- Where juniors who

qualifying or eligibility

are

considered, their senior

shall also be considered

provided they are not

qualifying or eligibility

service or two years,

whichever is less, and

period for promotion to the next higher grade

along with their juniors

completed such qualifying

have

or eligibility service.

of

completed their

being

requisite

successfully

probation

already

4.

the grade.

service

short

have

who

completed

Information

Departmental

Committee:

Information

Broadcasting- Member;

Director

Director

Doordarshan - Member.

Corporation – Chairman;

Broadcasting- Member;

Director

Director

Doordarshan - Member.

Akashvani – Member;

1.Chief Executive Officer,

2. Joint Secretary, Ministry of

Akashvani - Member;

General.

General,

Confirmation

General.

General,

in the feeder grades,

that is, the Government

servants on deemed

officers and employees

of the Corporation, as

may be decided by the

Note-2: The vacancies

arising in a particular

method of promotion

under these rules, shall

short-term contract) in

regulations notified by

unfilled through

filled

deputation

accordance

the Corporation.

which remain

(including

with

Corporation and

to

the

the

deputation

Corporation.

[F. No. A-48011/1/2014-BA (P)] VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1170(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1962 को जहां तक उनका संबंध लेखा निरीक्षक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के पदों से है और आकाशवाणी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1994 को, जहां तक उनका

संबंध प्रधान लिपिक/लेखाकार/वरिष्ठ भंडारी के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में लेखा निरीक्षक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान लिपिक/सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना– ये नियम इन नियमों के साथ अनुसूची के स्तंभ । में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे और केवल पोषक प्रवर्ग के उन कर्मचारियों के लिए लागू होंगे जो सरकारी सेवक निगम में प्रतिनियुक्तिवत होंगे ।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता वह व्यक्ति,-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन	सीधे	सीधे भर्ती किए	क्या सीधे	परिवीक्षा
नाम			मेट्रिक्स	पद	भर्ती	जाने वाले	भर्ती किए	की
			में स्तर	अथवा	किए	व्यक्तियों के लिए	जाने वाले	अवधि
				अचयन	जाने	अपेक्षित शैक्षिक	व्यक्तियों के	यदि कोई
				पद	वाले	और अन्य	लिए विहित	हो।
					व्यक्तियों	अर्हताएं	आयु और	
					के लिए		शैक्षिक	
					आयु		अर्हताएं	
					सीमा		प्रोन्नति की	
							दशा में लागू	
							होंगी	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. लेखा	*45(2018)	साधारण	स्तर 8	चयन	लागू	लागू नहीं होता	लागू नहीं	लागू
निरीक्षक/	*कार्यभार के आधार	केंद्रीय सेवा,	(47600-	पद	न हीं		होता	नहीं
वरिष्ठ	पर परिवर्तन किया		151100		होता			होता
प्रशासनिक	जा सकता है।	06	₹)					
अधिकारी	टिप्पण 1.: पदों की	राजपत्रित,						
	संख्या उस श्रेणी में	अननुसचिवीय						
	स्वीकृत पदों की कुल							
	संख्या है और किसी							
	भी समय, निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत							
	सरकारी सेवकों							
	द्वारा निगम के							
	अधिकारियों और							
	कर्मचारियों की कुल							
	संख्या से अधिक							
	नहीं होनी चाहिए।							
	टिप्पण 2. ये नियम							
	सभी लेखा							
	निरीक्षकों/वरिष्ठ							
	प्रशासनिक							
	अधिकारियों के							
	केंद्रीय सरकार से							
	सेवानिवृत्त हो जाने							
	पर लागू नहीं रहेंगे,							
	जो निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत हैं।							

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का	वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन से भर्ती की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10.	11.	12.	13.
प्रोन्नति द्वारा	1. प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	लागू नहीं होता
टिप्पण: पोषक प्रवर्ग में	वेतन मेट्रिक्स (44900-	पर विचार करने के लिये)	
किसी विशिष्ट वर्ष में	142400 रू) में स्तर 7 में	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	
उद्भूत रिक्तियां	प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने		
कर्मचारियों के दो प्रवर्गीं	श्रेणी में दो वर्ष की नियमित	1. उप महानिदेशक (प्रशासन),	
अर्थात निगम में	सेवा की है।		
प्रतिनियुक्तिवत सरकारी	,	आकाशवाणी: अध्यक्ष;	
सेवक और निगम के	 टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों पर	2. उप महानिदेशक (प्रशासन),	
अधिकारी और कर्मचारी	अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण	दूरदर्शन∶ सदस्य;	
द्वारा भरी जाएंगी जैसा निगम विनिश्चय करे।	होने पर प्रोन्नति पर विचार	3. निदेशक (प्रशासन),	
।नगम ।व।नश्चय कर	किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों	`	
	पर भी विचार किया जायेगा,		
	बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता या		

पात्रता सेवा, इन अर्हता/पात्रता	
सेवा की आधी से ज़्यादा या दो	
वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर	
ली गई है, और अगले उच्च श्रेणी	
की प्रोन्नति के लिये	
परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक कर	
ली गई हो, जिसमें उनके कनिष्ठ	
भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता	
अथवा पात्रता सेवा पहले ही	
पूरी कर ली है।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	*102(2018)	साधारण	स्तर 7	चयन	लागू	लागू नहीं होता	लागू नहीं	लागू
प्रशासनिक	* कार्यभार के आधार	केंद्रीय सेवा,	(44900-	पद	नहीं		होता	नहीं
अधिकारी	पर परिवर्तन किया	समूह 'ख'	142400		होता			होता
	जा सकता है।	्र राजपत्रित,	₹)					
	टिप्पण1. : पदों की							
	संख्या उस श्रेणी में	अननुसचिवीय						
	स्वीकृत पदों की कुल							
	संख्या है और किसी							
	भी समय, निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत							
	सरकारी सेवकों द्वारा							
	निगम के अधिकारियों							
	और कर्मचारियों की							
	कुल संख्या से अधिक							
	नहीं होनी चाहिए।							
	टिप्पण 2. ये नियम							
	सभी प्रशासनिक							
	अधिकारियों के केंद्रीय							
	सरकार से सेवानिवृत्त							
	हो जाने पर लागू नहीं							
	रहेंगे, जो निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत हैं।							

10.	11.	12.	13.
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	लागू नहीं होता
टिप्पण: पोषक प्रवर्ग में	वेतन मेट्रिक्स (35400-112400	पर विचार करने के लिये)	
किसी विशिष्ट वर्ष में	रू) में स्तर 6 में प्रधान	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	
उद्भूत रिक्तियां	लिपिक/सहायक, जिन्होंने श्रेणी		
कर्मचारियों के दो प्रवर्गीं		1. उप महानिदेशक (प्रशासन),	
अर्थात निगम में	की है।	ा. ७४ महागिपराक (प्रसासग),	
प्रतिनियुक्तिवत सरकारी			
सेवक और निगम के	 टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों की	आकाशवाणी: अध्यक्ष;	
अधिकारियों और	ाटप्पण. जहां काने छे कानेया का अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूर्ण		
कर्मचारियों द्वारा भरी	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2. उप महानिदेशक (प्रशासन),	
जाएंगी जैसा निगम		८. उप महानिदशक (प्रशासन),	
विनिश्चय करे।	रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी		
	विचार किया जायेगा, बशर्ते		

उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता	दूरदर्शन∶ सदस्य;		
सेवा, इन अर्हता अथवा पात्रता	•		
सेवा की आधी से ज़्यादा या दो	3. निदेशक	(प्रशासन),	
वर्ष, जो भी कम है, हो गई है,	. ।पदराया	(प्रशासन),	
और अगले उच्च श्रेणी की प्रोन्नति	_		
के लिये परिवीक्षावधि	आकाशवाणी-सदस्य;		
सफलतापूर्वक पूरी की गई हो			
जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल			
हैं जिन्होंने अर्हता या पात्रता			
सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है।			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	*561(2018)	साधारण	स्तर 6	चयन	लागू	लागू नहीं होता	लागू नहीं	दो वर्ष
प्रधान	* कार्यभार के	केंद्रीय सेवा,	(35400-	पद	नहीं		होता	
लिपिक/	आधार पर		112400		होता			
सहायक	परिवर्तन किया		₹)					
	जा सकता है।	अराजपत्रित,						
	टिप्पण1- प्रत्येक	अननुसचिवीय						
	श्रेणी में पदों की							
	संख्या उस श्रेणी							
	में स्वीकृत पदों							
	की कुल संख्या है							
	और किसी भी							
	समय निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत							
	सरकारी सेवकों							
	द्वारा निगम के							
	अधिकारियों और							
	कर्मचारियों की							
	कुल संख्या से							
	अधिक नहीं होनी							
	चाहिए।							
	टिप्पण 2-ये							
	नियम सभी							
	प्रधान							
	लिपिकों/सहायकों							
	के केंद्रीय सरकार							
	से सेवानिवृत्त हो							
	जाने पर लागू							
	नहीं रहेंगे, जो							
	निगम में							
	प्रतिनियुक्तिवत							
	हैं।							

10.	11.	12.	13.
प्रोन्नति या सीमित	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर	लागू नहीं होता
विभागीय प्रतियोगी	वेतन मेट्रिक्स (25500-81100 रू)	विचार करने के लिये) निम्नलिखित से	
परीक्षा द्वारा	में स्तर 4 में प्रवर श्रेणी लिपिक,	मिलकर बनेगी:-	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग	6-32 3-6 3		
में किसी विशिष्ट वर्ष में	नियमित सेवा की है।	1.उप महानिदेशक (प्रशासन),	
उद्भूत रिक्तियां		ा.७५ महागिपसाल (प्रसासिम),	

कर्मचारियों के दो प्रवर्गी अर्थात निगम में प्रतिनियक्तिवत् सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी. जैसा निगम विनिश्चय करे। टिप्पण 2: इन भर्ती नियमों के अधीन किसी वर्ष विशेष में होने वाली रिक्तियां तीन पद्धतियों से, अर्थात साठ प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति से और बीस प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से भरी जायेंगी. शेष बीस प्रतिशत रिक्तियां निगम द्वारा अधिसचित विनियमों के अनुसार सीधी भर्ती से भरी जायेंगी।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा: वेतन मेटिक्स (25500-81100 रू) में स्तर 4 में प्रवर श्रेणी लिपिक. जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा निगम द्वारा अधिसूचित परीक्षा की स्कीम के अनुरूप आयोजित की जायेगी) टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों पर अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूर्ण होने पर विचार किया जा रहा है, उनके भी विचार किया वरिष्ठों पर जायेगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा, इन अर्हता अथवा पात्रता सेवा की आधी से ज्यादा या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी हो गई है और अगले उच्च श्रेणी की पदोन्नति के लिये परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की गई हो, जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं, जिन्होंने अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

आकाशवाणी- अध्यक्ष: महानिदेशक 2.उप (प्रशासन), दूरदर्शन- सदस्य; 3.निदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी-सदस्य: विभागीय पृष्टिकरण समिति: महानिदेशक 1.उप (प्रशासन), आकाशवाणी- अध्यक्ष; महानिदेशक 2.उप (प्रशासन), दूरदर्शन- सदस्य; 3.निदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी-सदस्य

> [फा. सं.-ए-12018/4/2015-बीए(पी)] विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the, 5th December, 2018

- **G.S.R.** 1170(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the posts of Inspector of Accounts, Senior Administrative Officer and Administrative Officer and the All India Radio Group 'C' posts Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the posts of Head Clerk/ Accountant/ Senior Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector of Accounts/ Senior Administrative Officer, Administrative Officer and Head Clerk/ Assistant in Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules and shall be applicable only to the employees in the feeder grade who are Government servants on deemed deputation to the Corporation.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification. No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	for direct	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Inspector of Accounts/ Senior Administrative Officer.		General Central Service,	level 8 (Rs. 47600-151100).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Grade from which recruitment by promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion. Note: The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, that is, the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	Promotion: Administrative Officer in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Director General (Administration), Akashvani - Chairperson; 2. Deputy Director General (Administration), Doordarshan- Member; 3. Director (Admn.), Akashvani - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Administrative Officer.	*102 (2018) * Subject to variation dependent on the work load. Note 1 The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Corporation			
and the			
officers and			
employees of			
the			
Corporation.			
Note 2			
These rules			
shall cease to			
exist on			
retirement of			
all the			
Administrative			
Officers who			
are Central			
Government			
employees and			
on deemed			
deputation to			
Corporation.			

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	By promotion.	Promotion:	Departmental	Not applicable.
applicable.		Head Clerk/Assistant in Level 6	Promotion Committee	
	Note: The vacancies	(Rs. 35400-112400) in the pay	(for considering	
	arising in a particular	matrix with five years regular	promotion) consisting	
	year shall be filled up	service in the grade.	of:-	
	by two categories of			
	employees in the	Note: - Where juniors who have	1. Deputy Director	
	feeder grades, that is,	completed their qualifying or	General	
	the Government	eligibility service are being	(Administration),	
	servants on deemed	considered, their senior would	Akashvani -	
	deputation to the	also be considered provided they	Chairperson;	
	Corporation and the	are not short of requisite		
	officers and	qualifying or eligibility service	2. Deputy Director	
	employees of the	by more than half of such	General	
	Corporation, as may	qualifying or eligibility service	(Administration),	
	be decided by the	or two years, whichever is less,	Doordarshan -	
	Corporation.	and have successfully completed	Member;	
		probation period for promotion		
		to the next higher grade along	3. Director	
		with their juniors who have	(Administration),	
		already completed such	Akashvani - Member.	
		qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Head Clerk/ Assistant.	*561 (2018) * Subject to variation dependent on the work load. Note 1 The number of posts in each grade is the total number of the posts	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	level 6 (Rs. 35400- 112400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

sanctioned				
for that				
grade and at				
any time, it				
shall not				
exceed the				
aggregate				
number of				
posts				
occupied by				
the				
Government				
servants on				
deemed				
deputation				
to the				
Corporation				
and the				
officers and				
employees				
of the				
Corporation.				
Note 2				
These rules				
shall cease				
to exist on				
the				
retirement				
of all Head				
Clerks/				
Assistants				
who are				
Central				
Government				
employees				
and on				
deemed				
deputation				
to				
Corporation.	<u> </u>			

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion or by Limited	Promotion:	Departmental Promotion	Not applicable.
Departmental Competitive	Upper Division Clerk in level 4 (Rs.	Committee (For	
Examination.	25500-81100) in the pay matrix with	considering promotion)	
Note 1: The vacancies arising in a	ten years' regular service in the	consisting of:-	
particular year in promotion quota	grade.	1. Deputy Director	
shall be filled up by two categories	Limited Departmental Competitive	General	
of employees in the feeder grades,	Examination:	(Administration),	
that is, the Government servants	Upper Division Clerk in level 4 (Rs.	Akashvani -	
on deemed deputation to the	25500-81100) in the pay matrix with	Chairperson;	
Corporation and the officers and	five years' regular service in the	2. Deputy Director	
employees of the Corporation, as	grade.	General	
may be decided by the	(The Limited Departmental	(Administration),	
Corporation.	Competitive Examination shall be	Doordarshan- Member;	
Note 2: The vacancies arising in a	held as per the scheme of	3. Director	
particular year shall be filled up	examination notified by the	(Administration),	
through three methods, namely,	Corporation).	Akashvani - Member.	
sixty percent vacancies shall be			
filled up by promotion and twenty	Note: - Where juniors who have	Departmental Confirma-	
percent vacancies shall be filled up	completed their qualifying or	tion Committee:	
by limited departmental	eligibility service are being	1. Deputy Director	

		T .	
competitive examination under	considered, their senior would also	General	
these rules, the remaining twenty	be considered provided they are not	(Administration),	
percent vacancies shall be filled up	short of requisite qualifying or	Akashvani -	
by direct recruitment in	eligibility service by more than half	Chairperson;	
accordance with the regulations	of such qualifying or eligibility	2. Deputy Director	
notified by the Corporation.	service or two years, whichever is	General	
	less, and have successfully	(Administration),	
	completed probation period for	Doordarshan- Member;	
	promotion to the next higher grade	3. Director	
	along with their juniors who have	(Administration),	
	already completed such qualifying or	Akashvani - Member.	
	eligibility service.		

[F. No. A-12018/4/2015-BA (P)] VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.